न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 71/2015 (223 आरटीए) नारायणराम वगै. बनाम फकरूद्दीन वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00057)

1 नारायणराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति राईका निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

2 मालाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति राईका निवासी कांकाणी तहसील लणी जिला जोधपुर।

3 दौलाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति राईका निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 फकरूद्दीन पुत्र श्री छोटू खां जाति मुसलमान निवासी चमनपुरा खानिया, जोधपुर हाल निवसी प्यारा चौक गुलजारपुरा जोधपुर के कायम मुकामान :–

1/1 कमरूद्दीन पुत्र श्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी सोनी बिल्डिंग के अंदर, आयशा मंजिल के पास, चमनपुरा गली नं. 1 गुलजारपुरा जोधपुर।

1/2 मोहम्मद उमर पुत्र श्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बरकतुल्ला खां कॉलानी, नाडी वाली गली, आखलिया चोराहा, जोधपुर।

1/3 श्रीमती जायदाद पुत्री श्री फकरूद्दीन, पत्नी मोहम्मद असलम जाति मुसलमान निवासी बरकतुल्ला खां कॉलोनी, नाडी वाली गली आखलिया चौराहा, जोधपुर।

1/4 श्रीमती जन्नत पत्नी जफरूदीन जाति मुसलमान,

1/5 शेरबानो पुत्री जफरूदीन जाति मुसलमान

1/6 नसरीन पुत्री जफरूदीन जाति मुसलमान,

1/7 सोना पुत्री जफरूदीन जाति मुसलमान,

1/8 सईदा पुत्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी इसाकिया स्कूल आहोर की हवेली के सामने जोधपुर।

1/9 शहजादा पुत्र सईदा जाति मुसलमान,

1/10 रिजवान पुत्र सईदा जाति मुसलमान,

1/11 इमरान पुत्र सईदा जाति मुसलमान,

1/12 मोसिन पुत्र सईदा जाति मुसलमान,

1/13 सम्मा पुत्री सईदा जाति मुसलमान।

2 श्रीमती हाजरा बेवा श्री मोहममद रमजान जाति मुसलमान निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

चमनपुरा खानिया, जोधपुर हाल निवासी खेडिया बालाजी आशापुरा नगर, पाली मारवाड़।

3 मनीष भाटी पुत्र श्री देवराज, जाति घांची, हाल सरपंच ग्राम पंचायत लूणी जिला जोधपुर निवासी लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर लूणी दिनांक 16.09.2013 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 143/2013

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे।

2 रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार।

3 रेस्पो. सं. 1/1, 1/2 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित।

4 रेस्पो सं. 1/3 से 1/13 बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर लूणी के राजस्व वाद सं. 143/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 143/2013 इन तथ्यों के साथ पेश किया कि ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा नं. 609 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अपीलांट्स के पिता श्री मंगलाराम संवत 2012 के काफी पूर्व से सन् 1950 से बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त थे परंतु राजस्व रिकार्ड में गलती से छोटू खां का नाम इस वादग्रस्त भूमि के बाबत सेटलमेंट के समय दर्ज हो गया। जिस तथ्य की जानकारी होते ही मंगलाराम ने छोटू खां से बात की तब छोटू खां ने इस वास्तविक एवं सही स्थिति को स्वीकार किया एवं छोटू खां ने वादग्रस्त भूमि के बाबत मौखिक बेचाननामा मंगलाराम के पुत्रों अपीलांट्स के हक में जरिए 99/– प्रतिफल राशि के पेटे वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया एवं उस विक्रय के आधार पर वादग्रस्त भूमि के बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपीलांट्स के नाम से नामांतरकरण सं. 76 दिनांक 30.08.63 भी पारित कर दिया गया। चूंकि अपीलांट्स एवं उनके पिता श्री मंगलाराम एकदम अनपढ़ व्यक्ति रहे हैं इस कारण उक्त नामांतरकरण सं. 76 के आधार पर उनके द्वारा जमाबंदी में अपीलांट्स का नाम दर्ज कराना रह गया। जिसकी जानकारी होते ही सन् 1998 में गांव में राजस्व कैंप में अपीलांट्स का नाम राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया गया एवं जमाबंदी में अपीलांट्स का नाम इन्द्राज होने के पश्चात अपीलांट्स ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन भी विधिवत करवा लिया। इस तरह अपीलांट्स विगत 63 वर्ष से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के रेस्पोडेंट्स की जानकारी में अपने पिता मंगलाराम के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे हैं फसल बुआई करते हैं और फसल प्राप्त करते हैं तथा लगान अदा करते आ रहे हैं तथा अपीलांट्स के खेत के चारों ओर तारबंदी व कांटों की बाड़ भी की हुई है। रेस्पो. सं. 1 से 3 व उनके कायम मुकाम आज तक कभी भी वादग्रस्त खेत पर नहीं आए एवं न ही ग्राम कांकाणी के रेस्पोडेंट्स आज तक किसी भी रूप में रहवासी रहे हैं। जमीनों की कीमतें बढ़ जाने के कारण रेस्पोडेंट्स की नियत में खोट आ गया एवं रेस्पो. सं. 3 ने रेस्पो सं. 1 व 2 से उपखण्ड अधिकारी लूणी के यहां नामांतरकरण की अपील करवाई जो अपील उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा स्वीकार कर ली गई जिसकी द्वितीय अपील माननीय अपर संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अभी भी लंबित है। इस दौरान रेस्पो. सं. 3 ने रेस्पो. सं. 1 व 2 से उपरोक्त वादग्रस्त जमीन खरीद ली एवं अपने नाम नामांतरकरण भी पारित करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी रेस्पोडेट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा इस कारण जो बेचाननामा रेस्पो. सं. 3 के हक में निष्पादित किया है एवं उसके आधार पर जो नामांतरकरण भरा गया है वह सर्वथा गलत व एवं अनाधिकार रूप से किया गया है जिस हेतु अब अपीलांट्स द्वारा सक्षम न्यायालय में उपरोक्त बेचाननामे को निरस्त करवाने हेतु वाद भी प्रस्तुत कर दिया है। मौके पर अपीलांट्स व पूर्व में उनके पिता सन् 1950 से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी दखल के रेस्पोडेंट्स के ज्ञान में बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे हैं। एवं उनके द्वारा लगान भी अदा किया गया है इस कारण विकल्प में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। रेस्पो. सं. 3 के हक में पारित विक्रय विलेख अपीलांट्स के हक व हकूकों के विरुद्ध प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मात्र है जिससे रेस्पोडेंट्स को अपीलांट्स के विरुद्ध किसी तरह के कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं अपीलांट्स वादग्रस्त भूमियों के बाबत अपने खातेदारी अधिकारों की

2/8/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रेस्पो. द्वारा उक्त वाद में अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसका जवाब भी अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स के दावे को बिना विवाद्यक कायम किए एवं बिना साक्ष्य लिए ही संपूर्ण वाद का निस्तारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा गुणावगुण पर कर दिया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2013 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय कुमार दवे ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि रेस्पो. द्वारा यह गलत आधार अपने प्रार्थना पर में उठाया गया है कि मौखिक बेचान के बाबत विधि के तहत कोई प्रावधान नहीं हैं एवं उस आधार पर कोई खातेदारी अधिकार का अर्जन नहीं होता है। मौखिक बेचान के बाबत किसी प्रकार की कोई विधि के तहत पाबंदी नहीं है एवं अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिसकी घोषणा हेतु अपीलांट्स द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है एवं चूंकि वादग्रस्त भूमि निर्विवादित रूप से कृषि भूमि है इस कारण कृषि भूमि के बाबत किसी तरह की घोषणा का वाद सुन सकने का क्षेत्राधिकार धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मात्र और मात्र राजस्व न्यायालय को ही है। वाद पत्र के अभिवचनों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलांट्स के पिता श्री मंगलाराम संवत 2012 से काफी पूर्व से सन् 1950 से वादग्रस्त भूमि पर काबिज थे एवं काश्त करते थे एवं लगान भी जमा करवाते थे जिनकी रसीदें भी प्रस्तुत की गई हैं इस कारण बाई आपरेशन ऑफ लॉ भी मंगलाराम व अपीलांट्स को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन मात्र छोटू खां का गलत नाम रिकार्ड में दर्ज हो जाने से उक्त बेचान अपीलांट्स के हक में किया गया। ऐसी स्थिति में यह समस्त साक्ष्य का विषय हो जाता है एवं उसके आधार पर कोई भी वाद रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है एवं न ही आदेश 7 नियम 11 के कोई भी प्रावधान इस प्रकरण में लागू होते हैं। अपीलांट्स ने वादग्रस्त भूमि के हक अधिकारों की घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जो हर सूरत में पोषणीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तीसरी अनुसूची में बेचान का हवाला नहीं दिया जाता है। बल्कि बेचाननामा संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान के तहत होता है। इसलिए धारा 54 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रावधान दिया हुआ है जिससे स्पष्ट उल्लेख है कि बेचान स्वामित्व का अंतरण है जो अदा किए गए प्रतिफल के एवज में अथवा ऐसा प्रतिफल अदा करने का वचन करने या आंशिक प्रतिफल राशि अदा किए जाने या आंशिक प्रतिफल राशि देने के वचन के आधार पर किया जाता है जो 100/– से कम राशि का होने से कब्जे के हस्तांतरण से ही बेचान किया जा सकता है। जिसके लिए लिखित में बेचाननामे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। यहां यह दोनों ही वाद तीसरी अनुसूची में अधीनस्थ न्यायालय को ही श्रवण करने का अधिकार है जिस बाबत यह वाद प्रस्तुत किया हुआ है। वादपत्र के अनुतोष में अपीलांट्स द्वारा बेचाननामा निरस्त करने की कोई प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय से नहीं की एवं न ही अपीलांट्स द्वारा यह वाद बेचाननामा निरस्त करने के हेतु प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो. सं. 3 के हक में निष्पादित बेचाननामा अपीलांट्स के हक हकूकों के विरुद्ध प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य मात्र हैं। एवं ऐसे बेचाननामे से प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार वादग्रस्त भूमियों के बाबत उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमियों के संबंध में घोषणा, बेदखली या पजेशन, निषेधाज्ञा के कोई भी अनुतोष के बाबत वाद किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाने के अनुतोष की मांग किए बिना अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उपरोक्त वाद को सुन सकने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को ही है।

रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा रेस्पो. सं. 3 के हक में कोई बेचान कर सकने का कोई अधिकार ही नहीं था मौके पर आज भी यथावत अपीलांट्स ही काबिज है, आज तक रेस्पोडेंट्स का कोई कब्जा मौके पर नहीं रहा है। आलोच्य बेचाननामा मात्र दिखावटी बेचाननामा है। जिसकी आड़ में रेस्पोडेंट्स अपीलांट्स को दबाब व धमकियां देकर भारी राशि अपीलांट्स से हड़पने की फिराक में हैं क्योकि रेस्पोडेंट्स को यह मालूम है कि वे न तो मौके पर काबिज हैं एवं न ही हो सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने आलोच्य बेचाननामा निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो अभी लंबित है।

रेस्पो. द्वारा जो तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में लिखे हैं वह आदेश 7 नियम 11

2/8/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सी.पी.सी. के प्रावधानों में कतई नहीं आते हैं यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने मौखिक बेचाननामे के आधार पर अपने हक अधिकार माने हैं लेकिन विकल्प में अपीलांट्स ने एडवर्स पजेशन का अभिवचन प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्राप्त हुए हक व अधिकार हैं जो नियत समयावधि के बाद प्राप्त होते हैं। जिस बाबत कृषि भूमि के बाबत घोषणात्मक वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष ही पोषणीय है तथा राजस्व न्यायालय को ही इस प्रकार के वाद सुनने का श्रवणाधिकार भी प्राप्त है। यह गलत है कि वाद विधि द्वारा वर्जित हो, जो आधार रेस्पोडेंट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में उठाए है वह बाद साक्ष्य के निर्णित किए जा सकते हैं एवं उस आधार पर इस स्टेज पर अपीलांट्स का यह वाद खारिज नहीं किया जा सकता है एवं वाद पोषणीय है। रेस्पोडेंट्स द्वारा यह भी आधार प्रार्थना पत्र में उठाया गया है कि अपीलांट्स को वाद प्रस्तुतीकरण का कोई बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने अपने वादपत्र के पद संख्या 8 में स्पष्ट रूप से वाद के बिनाय दावा का उल्लेख किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में रेस्पोडेंट्स ने अपना जवाबदावा भी प्रस्तुत कर दिया है। इसकारण तनकीयात कायम किए जाने के बाद साक्ष्य ही निर्णित किया जा सकता है एवं यही विधि की मंशा है। जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने के बाद इस तरह के आक्षेप विधि के तहत नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त मात्र वादी का वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज ही देखे जाएंगे न कि प्रतिवादी द्वारा अभिकथित कोई अभिवचन या प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायियक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए :– 2012(3) डब्लूएलएन 157 (राज.), 2012 आर.आर.डी. 84, 2013(2) डब्लूएलएन 274 (राज.), 2014(4) डब्लूएलएन 52 (राज.), 1992 आर.आर.डी. 212, 1994 आर.आर.डी. 138, 1995 आर.आर.डी. 760, 1995 आर.आर.डी. 532, 1995 आर.आर.डी. 368, 1997 आर.आर.डी. 486, 1996 आर.आर.डी. 161, 1996 आर.आर.डी. 393, 2009–10 (सप्लीमेंट) आर.आर. टी. 255, एआईआर 1925 इलाहाबाद 206(1), एआईआर 1972 उड़ीसा 136, एआईआर 1983 राज. 109

जहां तक आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में खातेदारी के अधिकारों की घोषणा का अधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को दिया गया है एवं विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक बेचाननामा निरस्त नहीं कर दिया जाए तब तक यह वाद पोषणीय नहीं हो, इसके अलावा जो

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तथाकथित बेचाननामा रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा रेस्पो. सं. 3 के हक में करना बताया गया है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रेस्पो. सं. 3 प्रतिवादी की हैसियत से आवश्यक पक्षकार बनाया जा सकता है जो बनाया जा चुका है। किंतु उससे वाद की पोषणीयता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तथाकथित बेचाननामा बहक रेस्पो. सं. 3 की वैद्यता को सक्षम दीवानी न्यायालय, में अपीलांट्स द्वारा चुनौती दी जा चुकी है जो वाद अभी लंबित है। जिस वाद की पोषणीयता को भी चुनौती के अंतर्गत माना गया था किंतु आखिर न्यायालय द्वारा वह बिंदु निर्णित करते हुए उक्त आपत्ति माना गया था किंतु आखिर न्यायालय द्वारा वह बिंदु निर्णित करते हुए उक्त आपत्ति को खारिज किया गया। जिस वाद की कार्यवाही में रेस्पो. उपस्थित हो चुके हैं एवं वह दावा लड़ रहे हैं, खातेदारी की घोषणा एक अलग अनुतोष है एवं विक्रय विलेख निरस्त करना अलग अनुतोष है जिससे दोनों वाद एक दूसरे वाद कतई विधि द्वारा बाधित नहीं हैं। एवं न ही आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त योग्य हैं। जिस संबंध में न्यायिक निर्णय उपर वर्णित किए जा चुके हैं।

इस तरह उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विधि के सिद्धांतों तथा न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद मात्र कृषि भूमियों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित धारा 88, तथा 188 के अंतर्गत आते हैं एवं उपरोक्तानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद मात्र अधीनस्थ न्यायालय को सुन सकने का ही क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों को न तो समझा एवं न ही समझने का प्रयास करते हुए आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है एवं न ही संपूर्ण रिकार्ड का भी अवलोकन करते हुए आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है।

विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निस्तारण करते समय न्यायालय को वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का ही अवलोकन करने का क्षेत्राधिकार है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं को प्राप्त क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए प्रतिवादी प्रस्तुत बचाव को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायायलय के समक्ष मौखिक बहस भी की गई थी किंतु उनके कई बिंदुओं का हवाला तक अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे नहीं दिया है न उनका उल्लेख ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

28/6
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लेकिन इस प्रकरण में बेचाननामे को अपीलांट द्वारा निरस्त करवाने के लिए वाद प्रस्तुत कर दिया है एवं वर्तमान में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में तथाकथित बेचाननामे को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार स्वयं ने मान लिया है एवं सिविल न्यायालय ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की है। दरअसल बेचाननामे को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही इस स्टेज पर मुख्य कार्यवाही की श्रेणी में आ गई है अतः जब तक बेचाननामा निरस्त नहीं हो जाता तब तक राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकारों एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में किसी प्रकार की प्रोसीडिंग जारी रखने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2013 निरस्त किए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को रोक दिया जावे एवं राजस्व वाद सं. 143/2013 में सिविल न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के बाद, विधि अनुसार प्रकरण में तनकीयात विरचित कर साक्ष्य व सुनवाई कर दावे को मैरिट पर निर्णित करने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

28/6/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर